UPJS010058072024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आव० वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश,झाँसी।

<u>सत्र वाद संख्या–1295/2024</u>

सरकार

बनाम

शकील खान उर्फ असद पुत्र हबीब खान
निवासी–33 छनियापुरा शहर कोतवाली।
<u>थाना–कोतवाली, जनपद झाँसी।</u>

धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी।
मु०अ०सं०–2050/2020

<u>दिनांक –28.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त गैर हाजिर है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शकील खान उर्फ असद के सन्दर्भ में बिना जमानतीय वारण्ट कागज संख्या –11 बी/1 पर मृत्यु आख्या प्राप्त हुई जिसके संबंध में अभियुक्त शकील खान उर्फ असद का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग झाँसी नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र कागज सं०–11 बी/2 पत्रावली पर संलग्न है। उक्त प्रपत्रों को का० अन्जू खान हाल तैनाती थाना टोड़ीफतेहपुर, जनपद–झाँसी द्वारा न्यायालय में बतौर सी०डब्लू० –1 अंकित अपनी साक्ष्य कागज सं०–12 ए में साबित किया है।

इस प्रकार अभियुक्त शकील खान उर्फ असद पुत्र श्री हबीब खान निवासी–33 छनियापुरा शहर कोतवाली, थाना–कोतवाली जिला–झाँसी की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणिक है। अतः अभियुक्त शकील खान उर्फ असद के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किया जाना न्यायसंगत है।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त शकील खान उर्फ असद के विरूद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो ।

दिनांक–28–07–2026

(शिव कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.07.28 15:40:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court